



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2018/ आश्विन 20, 1940

No. 386]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ ASVINA 20, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

फा. सं. बीएस/11/04/2018.—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 1987 को अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिसूचना संख्या फा.सं. बीएस/11/04/2018 दिनांक 07 जून 2018 में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् –

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) “नियम” से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 अभिप्रेत है ;

एच. एल. उपेंद्र वैज्ञानिक “जी” एवं उपमहानिदेशक (सीए एवं पीपीएण्डसी),

[विज्ञापन-III/4/असा./303/18]

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

F. No. BS/11/04/2018.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with section 5 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following amendment in the Bureau of Indian Standards notification number F. No. BS/11/04/2018 dated 07th June, 2018, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

2. In the said notification, for serial number 2 (b) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(b) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018;

H. L. UPENDAR, Scientist "G" & DDG (CA & PP&C),

[ADVT.-III/4/Exty./303/18]